

**राजस्थान विधान सभा**  
**ग्यारहवां सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**सोमवार, दिनांक 26 अगस्त, 2013**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

(क) विशिष्ट सचिव , विधान सभा, गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

**(ख) अध्यादेश**

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, अजमेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-20) सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1 राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-18); एवं
- 2 राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-19)

(III) श्री हरजीराम बुरडक, पशुपालन मंत्री, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-12) सदन की मेज पर रखेंगे ।

(IV) श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री, जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-17) सदन की मेज पर रखेंगे ।

(V) श्री रामकिशोर सैनी, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-14) सदन की मेज पर रखेंगे ।

(VI) श्री मांगीलाल गरासिया, युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री, राजस्थान क्रीडा विश्वविद्यालय, झुंझुनू अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-13) सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

(VII) श्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्यमंत्री, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1 महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर(संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-6)
- 2 स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-7)

(VIII) डॉ० दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-8)
- 2- कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013(2013 का अध्यादेश संख्यांक-9)
- 3- महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-10)
- 4- मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ (सीकर) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-11)
- 5- टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-15)
- 6- ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-16)

## 2. विधायी कार्य

### पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

#### (I) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-  
"राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"  
राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-28)

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-18) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**जारी..3..**

**(II) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013**

- (I) श्री हरजीराम बुरडक, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-23)

"राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-12) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(III) जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013**

- (I) श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-27)

"जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-17) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(IV) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013**

- (I) श्री रामकिशोर सैनी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-26)
- "राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-14) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(V) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013**

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-24)
- "महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(VI) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013**

- (I) श्री मुरारीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-25)
- "स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(VII) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013**

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-29)
- "महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(VIII) वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2013**

- वी.आई.टी. विश्वविद्यालय,  
जयपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक,  
2013  
(2013 का विधेयक संख्या-30)
- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-  
"वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन करने और वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(IX) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013**

- कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-31)
- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-  
"कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(X) मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013**

- मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-33)
- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- "राजस्थान राज्य में मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-11) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(XI) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013**

- टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-34)
- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- "राजस्थान राज्य में टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-15) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

**(XII) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013**

- (I) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी  
(संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-35)

"राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को  
और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

**3. शोकाभिव्यक्ति**

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. श्रीमती मार्ग्रेट थैचर - पूर्व प्रधानमंत्री, यूनाईटेड किंगडम।
2. श्री मोहम्मद जिल्लुर रहमान - राष्ट्रपति, बांग्लादेश।
3. श्री खुर्शीद आलम खान - पूर्व राज्यपाल, गोवा एवं कर्नाटक।
4. श्री कृष्ण कुमार गोयल - पूर्व सांसद, छठी एवं सातवीं लोकसभा तथा पूर्व सदस्य, तीसरी, चौथी एवं नवीं राजस्थान विधान सभा।
5. श्री धनराज मीणा - पूर्व सदस्य, आठवीं राजस्थान विधान सभा।
6. श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा - पूर्व सांसद, बारहवीं लोकसभा एवं पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा।
7. श्री रतनलाल वर्मा - पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा।
8. श्री आर.पी. गोयनका - पूर्व सांसद, राज्यसभा।
9. उत्तराखण्ड में हुई प्राकृतिक आपदा के मृतक।
10. बिहार के धमारा रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के मृतक।

**प्रदीप कुमार शास्त्री**  
**विशिष्ट सचिव**

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 25 अगस्त, 2013

---

नोट- प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा।